

(110)

पत्रांक:- AP-2/07/2022-.....6.117 (न)

बिहार सरकार,
भवन निर्माण विभाग।
(अनुमोदन हेतु प्रारूप)

प्रेषक,

ई० राकेश कुमार,

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।

सेवा में,

महाप्रबंधक,

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०,

बिहार, पटना

पटना, दिनांक:- 21/8/2023

विषय:- Related to Internship/Industrial Training/Summer Entrepreneurship के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में दिनांक:-19.12.2022 को अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में राजकीय एवं निजी पोलिटेक्निक संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों को 5th सेमेस्टर में एक माह के Summer/vocational/Internship Training से संबंधित बैठक हुई थी, बैठक में पोलिटेक्निक संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों को प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया गया है। Government Polytechnic Kutana Baraut, Baghpat, U.P से Internship अनुसंशा आयी है अनुसंशा एवं बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में निम्नलिखित छात्रों को राज्य भवन निर्माण निगम लि० के संबंधित भवन प्रमंडल के अन्तर्गत चल रहे Projects से जुड़कर प्रशिक्षण हेतु भेजा जा रहा है।

S. No.	Name of Student	Enrollment No.	Name of College	Reference No.
1.	Rohit Kumar	E21100432200053	Government Polytechnic Kutana Baraut, Baghpat, U.P	29/CE-IV/T & P/S.T./2023-24 Date- 06.07.2023

2. संबंधित कार्यपालक अभियंता प्रशिक्षु छात्रों को अपने संस्थान की परीक्षा में 75 प्रतिशत अंक/7.5 CGPA प्राप्त हुआ है के सत्यापन एवं पहचान पत्र सत्यापन के पश्चात्त प्रशिक्षण करायेगा।

3. छात्रों को योगदान करने एवं आने-जाने हेतु किसी भी प्रकार का टी०ए०/डी०ए० का भुगतान नहीं किया जायेगा तथा इन्हे नियमित कर्मियों की भाँति अन्य कोई सुविधाएँ एवं भत्ता देय नहीं होगा।

4. छात्रों द्वारा प्रशिक्षण के दौरान सुरक्षा के सभी मानकों को ध्यान में रखकर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। प्रशिक्षण अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की हानि एवं दुर्घटना होने की स्थिति में विभाग जिम्मेवार नहीं होगा।

5. छात्रों के ऊपर प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का आरोप/अनियमितता/दुर्व्यवहार की स्थिति में उन्हे प्रशिक्षण से तत्काल निष्काषित करते हुये संबंधित शैक्षणिक संस्थान को सूचित किया जायेगा।

6. प्रशिक्षण समाप्त होने के पश्चात् विभाग में नियमित अथवा संविदा नियुक्ति हेतु किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। यद्यपि प्रशिक्षण अवधि का परियोजना का नाम एवं अन्य brief प्रशिक्षण संस्थान द्वारा निर्गत पहचान पत्र Description of Projects के साथ संबंधित प्रशिक्षुओं को एक प्रमाण-पत्र संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा निर्गत किया जा सकेगा।

अनु०:- अनुरोध पत्र की प्रति।

विश्वासभाजन,


(ई० राकेश कुमार)

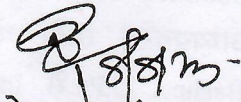
ज्ञापांक:-.....6717(ग)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।
18/8/23 पटना, दिनांक:-.....21.1.8/...2023
प्रतिलिपि:- निदेशक(अनुश्रवण), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ।


(ई० राकेश कुमार)

ज्ञापांक:-.....6717(ग)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।
18/8/23 पटना, दिनांक:-.....21.1.8/...2023
प्रतिलिपि:-आईटीएम मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(ई० राकेश कुमार)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।
18/8/23